FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सुखपाल सिंह बनाम ज्ञान सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 07 सन् 2025

जी.सी.एम.एस नम्बर 2025/142

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजे	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.04.2025	प्रार्थी सुखपाल सिंह पुत्र दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी 35 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 10 डब्ल्यू के खाता संख्या 130/131 के मुरब्बा नम्बर 15, 27, 59/13, 59/38 की कुल 3.882 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 55/14 के मुरब्बा नम्बर 54, 59 की कुल 1.847 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे। [signature] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	
29/09/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC को प्रस्तुत किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस प्रकरण मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) [stamp: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्री करणपुर (श्री गंगानगर) *]	